



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276879
CG-DL-E-06102026-276879

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5268]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5268]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5478(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का नाम 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने

हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 6 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

डॉ. जी. वेंकटेश, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — उच्च घनत्व के पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) / पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 5178(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 2181(अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3938(अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5261(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, का.आ. 2551(अ), तारीख 11 जून, 2025, का.आ. 4066(अ), तारीख 4 सितंबर, 2025 तथा का.आ. 51(अ), तारीख 5 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5478(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to further amend the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE)/ Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of January, 2027.”

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

Dr. G. VENKATESH, Jt. Secy.

Note: The Textiles — High Density Polyethylene (HDPE) / Polypropylene (PP) Woven Sacks for Packaging of 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5178(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2181(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3938(E), dated the 13th September 2024, S.O. 5261(E), dated the 6th December, 2024, S.O. 2551(E), dated the 11th June 2025, S.O. 4066(E), dated the 4th September, 2025 and S.O. 51(E), dated the 5th January, 2026.

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5479(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का नाम 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 6 नवंबर, 2026 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

डॉ. जी. वेंकटेश, संयुक्त सचिव

टिप्पण: 50 किग्रा, सीमेंट की पैकेजिंग के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) बुने हुए, लैमिनेटेड, ब्लॉक बॉटम वाल्व बोरे (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 5179(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 2182(अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3939(अ), तारीख 13 सितंबर, 2024, का.आ. 5262(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, का.आ. 2552(अ), तारीख 11 जून, 2025, का.आ. 4067(अ), तारीख 4 सितंबर, 2025 तथा का.आ. 52(अ), तारीख 5 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5479(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to further amend the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Second Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of November, 2026.”

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

Dr. G. VENKATESH, Jt. Secy.

Note: The Textiles — Polypropylene (PP) Woven, Laminated, Block Bottom Valve Sacks for Packaging 50 kg Cement (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5179(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2182(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3939(E), dated the 13th September 2024, S.O. 5262(E), dated the 6th December, 2024, S.O. 2552(E), dated the 11th June, 2025, S.O. 4067(E), dated the 4th September, 2025 and S.O. 52(E), dated the 5th January, 2026.

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2026

का.आ. 5480(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उप-धारा (3) और धारा 17 के साथ पठित धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है। डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) / उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात:

1. (1) इस आदेश का नाम डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) / उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2026 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) / उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) आदेश, 2023 के पैरा 1 में, उप-पैरा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप पैरा रखा जाएगा, अर्थात:

“(2) यह आदेश 6 जनवरी, 2027 को प्रवृत्त होगा”।

[फा. सं. पीसी-II-25014/9/2019-टेक.-सीपीसी]

डॉ. जी. वेंकटेश, संयुक्त सचिव

टिप्पण: डाक की छंटाई, भंडारण, परिवहन और वितरण के लिए कपड़ा — पॉलीप्रोपिलीन (पीपी) / उच्च घनत्व पॉलीएथिलीन (एचडीपीई) लैमिनेटेड बुने हुए बोरें (क्वालिटी नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 5181(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात अधिसूचना संख्या का.आ. 2183(अ), तारीख 4 जून, 2024, का.आ. 3940(अ), तारीख 13 सितंबर, 2024 और का.आ. 5263(अ), तारीख 6 दिसंबर, 2024, का.आ. 2553(अ), तारीख 11 जून, 2025, का.आ. 4068(अ), तारीख 4 सितंबर, 2025 तथा का.आ. 53(अ), तारीख 5 जनवरी, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5480(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and after consulting the Bureau of Indian Standards, hereby makes the following Order to further amend the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, namely: -

1. (1) This order may be called the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Second Amendment Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: —

“(2) It shall come into force on the 6th day of January, 2027.”

[F. No. PC-II-25014/9/2019-TECH.-CPC]

Dr. G. VENKATESH, Jt. Secy.

Note: The Textiles — Polypropylene (PP)/ High Density Polyethylene (HDPE) Laminated Woven Sacks for Mail Sorting, Storage, Transport and Distribution (Quality Control) Order, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 5181(E), dated the 6th December, 2023 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 2183(E), dated the 4th June, 2024, S.O. 3940(E), dated the 13th September 2024 and S.O. 5263(E), dated the 6th December, 2024, S.O. 2553(E), dated the 11th June, 2025, S.O. 4068(E), dated the 4th September, 2025 and S.O. 53(E), dated the 5th January, 2026.